

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/सा०चि०पदा०-138/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० रोहित कुमार चौधरी, तत्कालीन सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधेपुरा सम्प्रति सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फारबीसगंज, अररिया के दिनांक-01.06.2018 से 03.08.2020 तक की अवधि को निम्नरूप में स्वीकृत किया जाता है :-

i.	दिनांक-01.06.2018 से 28.07.2020 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में । (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
ii.	दिनांक-29.07.2020 से 01.08.2020 तक	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में ।(सिविल सर्जन कार्यालय, सहरसा में)।
iii.	दिनांक-02.08.2020 से 03.08.2020 तक	असाधारण अवकाश के रूप में । (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)

2. प्रस्ताव एवं प्रारूप में सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

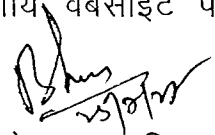
ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-138/2024-

1311/2

पटना, दिनांक 29/7/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा/अररिया/अधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फारबीसगंज, अररिया/कोषागार पदाधिकारी, अररिया/डा० रोहित कुमार चौधरी, तत्कालीन सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधेपुरा सम्प्रति सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फारबीसगंज, अररिया/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव